बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: संकल्प ::

पटना–15, दिनांक ....

विषयः–कश्मीर के पुलवामा एवं कुपवाड़ा में घटित आतंकवादी घटनाओं में शहीद हुए बिहार के सपूतों शहीद रतन कुमार ठाकुर, जिला भागलपुर, शहीद संजय कुमार सिन्हा,जिला पटना एवं शहीद पिन्टु कुमार सिंह, जिला बेगूसराय, के एक आश्रित को बिहार सरकार में नियुक्त करने के संबंध में।

जम्मू–कश्मीर में दिनांक–14.02.2019 को पुलवामा में एवं दिनांक–01.03.2019 को ग्राम–बाबागुण्ड, थाना–करलगुण्डा, जिला–कुपवाड़ा में घटित आतंकवादी घटनाओं में बिहार के निम्नांकित तीन सपूत वीरगति को प्राप्त हुए :–

(i) शहीद रतन कुमार ठाकुर, (कॉन्स्टेबल, सी0आर0पी0एफ0 के 45वीं0 बटालियन) ग्राम–रतनपुर, पो0–मदारगंज, थाना–अमदंडा, जिला भागलपुर **(पुलवामा के शहीद)**।

(ii) शहीद संजय कुमार सिन्हा, ग्राम–तारेगनामठ, पो0+थाना–मसौढ़ी, जिला पटना **(पुलवामा के शहीद)**।

(iii) शहीद पिन्टु कुमार सिंह, (निरीक्षक, जी0डी0, सी0आर0पी0एफ0की 92वीं0 बटालियन) ग्राम–ध्यानचक्की बगरस, पो0–बगरस, थाना बखरी, जिला–बेगूसराय **(कुपवाड़ा के शहीद)**।

2. आतंकवादी घटनाओं में शहीद उक्त वर्णित जवानों के किसी आश्रित को सरकारी नौकरी प्रदान करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था। शहीद के परिवारजनों द्वारा भी इस आशय का अनुरोध सरकार से किया गया है। स्थानीय जनमानस भी परिवारजनों के इस अनुरोध का समर्थन करता है।

3. अतः वर्णित स्थिति में सम्यक् विचारोपरान्त उपर्युक्त तीनों शहीदो की शहादत के सम्मान एवं उनके परिवारजनों को राहत हेतु प्रस्ताव है कि:–

(क) उपर्युक्त तीनो शहीदों के एक–एक योग्य आश्रित को राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति प्रदान की जायेगी। योग्य आश्रित का चयन शहीद की विधवा की लिखित अनुशंसा पर संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(ख) यह नियुक्ति आश्रित की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार निम्नवर्गीय लिपिक (समूह–'ग') वेतनस्तर–2 अथवा परिचारी (समूह–'ग') वेतनस्तर–1 में की जायेगी।

(ग) शहीदों के आश्रितों की यह नियुक्ति पूर्णतया एक बारगी उपाय (One time measure) के तहत की जायेगी। भविष्य के लिए इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर, पटना एवं मुंगेर/ जिला पदाधिकारी, भागलपुर, पटना एवं बेगूसराय/निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी/श्रीमती राजनन्दनी कुमारी, पति–शहीद रतन कुमार ठाकुर, ग्राम–रतनपुर, पो0–मदारगंज, थाना–अमदंडा, जिला–भागलपुर/ श्रीमती बेबी देवी, पति–शहीद संजय कुमार सिन्हा, ग्राम–तारेगनामठ, पो0+थाना –मसौढ़ी, जिला–पटना/श्रीमती अंजू सिंह, पति–शहीद पिन्टु कुमार सिंह, ग्राम–ध्यानचक्की बगरस, पो0–बगरस, थाना–बखरी, जिला–बेगूसराय को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–22 / विविध–01 / 2019सा0प्र0.. / पटना–15, दिनांक ....

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 तथा ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में) प्रेषित।

अनुरोध है कि राजपत्र की 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–22 / विविध–01 / 2019सा0प्र0.. / पटना–15, दिनांक ....

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–22 / विविध–01 / 2019सा0प्र0.....8150..... / पटना–15, दिनांक ....19.6.19....

प्रतिलिपि–सभी संबंधित विभागों / विभागाध्यक्षों / प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर, पटना एवं मुंगेर / विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–11.06.2019 में मद संख्या–02 के प्रसंग में अनुपालन प्रतिवेदन / जिला पदाधिकारी, भागलपुर, पटना एवं बेगूसराय / निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी / श्रीमती राजनन्दनी कुमारी, पति–शहीद रतन कुमार ठाकुर, ग्राम–रतनपुर, पो0–मदारगंज, थाना–अमदंडा, जिला–भागलपुर / श्रीमती बेबी देवी, पति–शहीद संजय कुमार सिन्हा, ग्राम–तारेगनामठ, पो0+थाना–मसौढ़ी, जिला–पटना / श्रीमती अंजू सिंह, पति–शहीद पिन्टु कुमार सिंह, ग्राम–ध्यानचक्की बगरस, पो0–बगरस, थाना–बखरी, जिला–बेगूसराय एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/6/19

सरकार के अपर सचिव।